कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2021–22/एफसीए/मुवसभ/ 310 दिनांक 11-1-2024

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषयः– Diversion of 189.2515 ha. of Forest land in favour of DMG, Rajasthan in Block A and B Paharpur Tehsil – Roopwas, Dist.- Bharatpur for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. Online Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021

संदर्भ– अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज जयपुर का पत्रांक 8155 दिनांक 28.11.2023 एवं उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में आक्षेपों की संदर्भित पत्र से बिन्दुवार निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है जो कि निम्नानुसार है :–

S.N.	Observations	Compliance
1.	Point No V :- Current Status / annual compliance report has not been submitted.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार प्रत्यावर्तित क्षेत्र में 41 खनन पट्टा स्वीकृत किये गये जिनमें से 31 खनन पट्टाधारियों द्वारा राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल से अक्टुबर 2022 के बाद कन्सेंट टू ऑपरेट प्राप्त कर खनन कार्य शुरू किया है। वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट यूजर ऐजेन्सी द्वारा शीघ्र ही पृथक से प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।
2.	Point No. VI :- (a) Current Status of safety Zone demarcation. (b) Status of Plantation in the safety zone.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार (a) लगभग 11 किमी लम्बाई में सेफटी जोन डिमार्केशन किया जाना है। यूजर एजेन्सी द्वारा वर्तमान में लगभग 100 मीटर लम्बे क्षेत्र में डिमार्केशन किया गया है। (Annexure-I) (b) सेफटी जोन में वृक्षारोपण हेतु कैम्पा APO 2024–25 में प्रस्ताव भिजवाये गये है।
3.	Point No. VII :- Status of lease for Period/Validity of individual lease.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि संविदा पंजियन की तिथि से 50 वर्ष तक है, विवरण सूची संलग्न है। (Annexure-II)
4.	Point No. X :- Status of fund deposited in DFMT and expenditure with activity wise.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार डीएमएफटी बैठक दिनांक 26.09.2023 में वित्तिय वर्ष 2022–23 में अर्जित राशि रू. 1384.78 लाख का 10 प्रतिशत राशि रू. 138.47 लाख वृक्षारोपण कार्य हेतु अनुमोदित की गई है, जिसके लिये कार्यकारी ऐजेंसी कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर को नियुक्त करने का बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। इस कार्यालय द्वारा उक्त राशि के कार्यो के प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 03.01.2024 द्वारा सदस्य सचिव डीएफएमटी को भिजवाये गये है। यूजर ऐजेन्सी अनुसार दिनांक 30.9.2023 को डीएमएफटी कोष में राशि रू. 4.57 करोड उपलब्ध है। (पत्र की प्रति संलग्न है)(Annexure-III)
5.	Point No. XI :- Status of felling of trees and translocation of trees.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार डायवर्टेड क्षेत्र में अभी तक ना तो कोई पेड काटा गया है, और न ही किसी पेड को translocate किया गया

		है। यूजर ऐजेन्सी भविष्य में पालना / translocate किये जाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
6.	Point No. XIII :- Compliance/annual report regarding reclamation plan as per approved mining plan.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार डायवर्टेड क्षेत्र में किये गये खनन क्षेत्र में खनिज समाप्त नहीं हुई है। reclamation की कार्यवाही अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार की जावेगी।
7.	Point No. XVI :- Status of boundary (is RCC Pillars) of diverted forest land.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा पर कुल 158 आर.सी.सी. पिल्लर्स लगाये जाने अपक्षित है। यूजर एजेन्सी द्वारा वर्तमान में केवल 8 पिल्लर लगाये गये है।
8.	Point No. XVIII :- Diverted Forest land can't be transfer to any perosn department without approval of central Government. But mining Department auctioned the leases and transfer of leases without approval of Central Government.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार 41 खनन पट्टाधारियों को दिनांक 15.12.2023 से नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया है कि खनन पट्टा का अपने पक्ष में हस्तांतरण हेतु भारत सरकार से अनुमोदन/स्वीकृति की कार्यवाही करावें। (पत्र की प्रति संलग्न है) (Annexure-IV)
9.	4. The State Govt. shall submit the present status of the court case due to which the 44 ha. Area has been deleted from the instant proposal.	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार दिनांक 06.12.2023 को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की वेबसाइट पर एसबी सीडब्ल्यूपी संख्या 8028/2004 की प्रदर्शित स्थिति अनुसार प्रकरण पर दिनांक 28.01.2022 को सुना गया। आदेश दिनांक 28. 01.2022 अनुसार प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सुनवाई तिथि 10.03.2022 अंकित है। यूजर एजेंसी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु पत्र दिनांक 06.12.2023 से खनि अभियंता (याचिकाऐं) को लिखा गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)(Annexure-V)

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव मय दो हार्ड प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कमांक एफ ( ) 2021–22/एफसीए/मुवसभ/ 311 दिनांक 11-1-2024

प्रतिलिपी :–

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां अति. प्रधाान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर को दिनांक 12.01.2024 को प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से किसी कार्मिक को पाबन्द करें।

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर